वर्ष 16 अंक 3
वर्षा 2026

करुणा-मित्र

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी – भारत की पत्रिका
प्राणी अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक धर्मार्थ ट्रस्ट

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी
एक ऐसी जीवनपद्धति है
जो किसी जीव को, चाहे वो
भूमि, जल अथवा वायु का हो
भय, पीड़ा अथवा मृत्यु नहीं पहुँचाती

संपादकीय

जीवित चारा

गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में अवैध शेर प्रवासन एक बढ़ता हुआ और खतरनाक ब्लैक-मार्केट उद्योग है। इसे कमर्शियल रिसॉर्ट्स, गैर-कानूनी होमस्टे और ऐसे लोकल ऑपरेटर चलाते हैं जो शेर दिखाने की गारंटी देते हैं। पर्यटकों की भारी मांग (जो आधिकारिक सफारी क्षमता से कहीं अधिक है) के कारण यह अंडरग्राउंड नेटवर्क कड़े संरक्षण कानूनों को दरकिनार कर देता है। इस हरकत से पर्यावरण को भारी क्षति होती है, मनुष्यों की जान खतरे में पड़ती है और लुप्तप्राय एशियाई शेर के प्राकृतिक व्यवहार में बाधा आती है। पर्यटन के इस अवैध कारोबार में 'Live Bait' अर्थात्, जीवित चारे का खुलकर प्रयोग होता है।

'Live Bait' का मतलब है, एक जीवित जानवर जिसे शिकार (भोजन) माना जाता है और जिसका इस्तेमाल जान-बूझकर किसी दूसरे जानवर को लुभाने के लिए किया जाता है। जब 1982 में 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960' में संशोधन किया गया था, तो ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी (बी डब्ल्यू सी) ने भारत सरकार को कई सुझाव दिए थे, जिनमें से एक जीवित चारे के इस्तेमाल पर रोक लगाना भी था। हालाँकि, इस कानून के बावजूद, बी डब्ल्यू सी ने पाया है कि खुद भारत सरकार (जिसमें कुछ रक्षा इकाइयाँ भी शामिल हैं) मांसाहारी जानवरों के शिकार

जीवित चारे के रुप में प्रयुक्त मूक, निरीह पशु। *तसवीर सौजन्य:* **freepressjournal.in**

के लिए जीवित चारे का इस्तेमाल करती है। यहाँ तक कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, पवई ने भी तेंदुए को पकड़ने के लिए जीवित चारे का इस्तेमाल किया है। ऐसे कई मौकों पर बी डब्ल्यू सी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है, जिसके बाद यह भरोसा दिलाया गया (कुछ मामलों में तो खुद केंद्रीय मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए) कि इस तरीके को बंद कर दिया जाएगा। हाल ही में दि. 13/07/2026 बी डब्ल्यू सी के द्वारा एक और आपत्ति पत्र गुजरात राज्य के वन, पर्यावरण, क्लाइमेट चेन्ज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री को गिर जंगल में सिंहों के संरक्षण हेतु लिखा गया था। हमारे उक्त पत्र को संबंधित विभाग के द्वारा दि. 22/07/2026 को गुजरात सरकार के अज्ञ सचिव को नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु अग्रेषित किया गया है।

फिर भी, कुछ वन्यजीव अधिकारियों ने चालाकी से इसके लिए एक खास जाल बनाया है: एक हिस्से में जीवित चारे आमतौर पर कुत्ता रखा जाता है; और दूसरे हिस्से में बड़ा बिल्ला आमतौर पर तेंदुआ फँस जाता है। हालांकि तेंदुआ कुत्ते को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचा पाता, लेकिन उसे रात भर अकल्पनीय डर का सामना करना पड़ता है। बेचारी बकरी के साथ भी ऐसा ही होता है। बी डब्ल्यू सी का मानना है कि किसी बड़े बिल्ले (जैसे कि तेंदुआ) को बस देख लेने भर से ही उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती, खासकर ज़िंदा चारे का प्रयोग करके। चूंकि पशु अधिकार कार्यकर्ता बड़े बिल्लों को लुभाने के लिए ज़िंदा चारे

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी

COMPASSIONATE FRIEND और करुणा-मित्र

एक वीगन समर्थक

के प्रति उनके द्वारा
उदारतापूर्वक प्रदान किये गये
₹ 1,50,000/- के लिये कृतज्ञ है

के गैर-कानूनी इस्तेमाल का कड़ा विरोध करते हैं, इसलिए यह वन विभाग के अधिकारी मीडिया से बात करते हुए 'पिंजरा और कैमरा ट्रैप लगाने' की बात कहते हैं, लेकिन उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल अपनी सुविधा के हिसाब से बदल लिया है। वे यह नहीं बताते कि जिस पिंजरे की बात हो रही है, वह असल में एक ट्रैप है, जिसमें बड़े बिल्लों (जैसे कि तेंदुआ) को फंसाने के लिए ज़िंदा चारा रखा जाता है; जबकि कैमरा ट्रैप एक ऐसा उपकरण है, जो उस जगह पर किसी भी गतिविधि या मौजूदगी से अपने आप चालू हो जाता है जहाँ उसे लगाया गया है और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है।

दिसंबर 2020 में, सोलापुर के डिविज़नल कंज़र्वेटर ऑफ़ फ़ॉरेस्ट के ऑफ़िस ने 6 -7 साल के एक तेंदुए के ख़िलाफ़ आदेश जारी किया, जो 4 जिलों में घूम रहा था और उसने 12 लोगों को मार डाला था या घायल कर दिया था। आदेश में कहा गया था, ''तेंदुए को पिंजरे में पकड़ना या ट्रैंक्विलाइज़र का प्रयोग करना पहली प्राथमिकता होगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो मनुष्य की जान बचाने के लिए वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 11(1)(अ) के तहत तेंदुए को मारने की अनुमति दी गई है।'' इसलिए वन विभाग ने 80 कर्मचारियों के साथ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, 21 पिंजरे लगाए और 42 ट्रैप कैमरे लगाए। इसके बाद, पहली बार देखे जाने के दो हफ़्ते बाद करमाला तालुका के बिटरगाँव में उस जानवर को गोली मारकर मार दिया गया। महाराष्ट्र वन विभाग 2007 से आदमखोर तेंदुओं को पकड़ने या उनका शिकार करने का काम कर रहा है, खासकर ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व के वाइल्डलाइफ़ बफ़र ज़ोन में, जिसे इंसान और जानवर के बीच टकराव वाले सबसे बुरे इलाकों में से एक माना जाता है। उन्होंने ट्रैप पिंजरे के अंदर एक बकरी और पिंजरे के बाहर दूसरी बकरी रखना शुरू कर दिया है। उनका तर्क है कि अगर तेंदुआ पिंजरे के अंदर नहीं जाता है, तो हो सकता है कि वह बाहर वाली बकरी को खा ले और इसलिए किसी मनुष्य पर हमला न करे।

अवैध प्रवासन नेटवर्क कैसे काम करता है

- शेर दिखाने की गारंटी: बिना लाइसेंस वाले ऑपरेटर शेरों को लुभाने के लिए गांवों के अंदर निजी खेती वाली ज़मीन का प्रयोग करते हैं।
- अवैध चारा (Baiting): हैंडलर शेर को लोगों के सामने शिकार करने पर मजबूर करने के लिए ज़िंदा बछड़ों या बकरियों को बांध देते हैं।
- भारी कीमत: अनौपचारिक टूर संचालक ₹ 5,000 से ₹ 25,000 तक वसूलते हैं और उन पर्यटकों का फायदा

गिर के जंगल में सिंह के पीछे वाहन दौड़ाकर उन्हें परेशान करना उनके उपर अत्याचार करने के समान है। ***तसवीर सौजन्य:*** **asiaticlionlodge.com**

उठाते हैं, जिन्हें आधिकारिक टिकट नहीं मिल पाते।

- गृह-निवास का गलत उपयोग: कमर्शियल रिसॉर्ट्स ढीली ' गृह-निवास दिशा-निर्देश' (घर पर ठहराने के दिशानिर्देश) की आड़ में किराए के कर्मचारियों के ज़रिए बड़े पैमाने पर ट्रैकिंग नेटवर्क चलाते हैं।
- टिकट की कालाबाज़ारी करने वाले पोर्टल: अनौपचारिक थर्ड-पार्टी वेबसाइटें सरकारी पोर्टलों पर कानूनी परमिट ब्लॉक कर देती हैं और फिर उन्हें बहुत ज़्यादा कीमतों पर बेचती हैं।
- रात में घुसपैठ: घुसपैठिए अंधेरे में शेरों को खोजने के लिए ऑफ-रोड गाड़ियों (जैसे महिंद्रा थार) का प्रयोग करते हैं।

गिर के जंगल में सिंह ऐसे खुले आम घुमते पाये जाते हैं। *तसवीर सौजन्य:* asiaticlionlodge.com

पर्यावरण और सुरक्षा पर असर

- व्यवहार में बड़ा बदलाव: गाड़ियों की लगातार हेडलाइट्स, हॉर्न बजाने और पास आने से शेर बहुत चिड़चिड़े और आक्रामक हो जाते हैं।
- जानलेवा हमले: पास से फिल्म बनाने, उकसाने और मेटिंग करने वाले जोड़ों का पीछा करने के कारण मनुष्यों पर जानलेवा हमले हुए हैं।
- आवास का विनाश: बिना अनुमति के इवेंट, ज़ोर-शोर से आवाज़ करने वाले वेडिंग पैकेज और पटाखे संवेदनशील बफर ज़ोन को बुरी तरह प्रदूषित करते हैं।
- बीमारी का संक्रमण: चारे (baiting) के उपयोग से शेर पालतू कुत्तों और मवेशियों के जानलेवा कीटाणुओं के संपर्क में आने से संक्रमणग्रस्त हो जाते हैं।

सज़ा और कार्रवाई

भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत, वन्यजीवों को परेशान करना, चारा डालना, शेरों को खुद से ट्रैक करना या बिना इजाज़त सेल्फी लेना गैर-ज़मानती आपराधिक जुर्म है।

- जेल की सज़ा: दोषियों को 3 से 7 वर्षों की अनिवार्य जेल की सज़ा हो सकती है।
- आर्थिक जुर्माना: हर उल्लंघन पर ₹ 25,000 तक का आर्थिक दंड लग सकता है।
- संपत्ति ज़ब्त करना: घुसपैठ के लिए प्रयोग की गई गाड़ियां और अवैध शो आयोजित करने वाली निजी ज़मीन को राज्य के अधिकारी ज़ब्त कर लेते हैं।

गिर की यात्रा सही तरीके से कैसे करें

- सिर्फ़ सरकारी तरीकों से ही यात्रा करें: परमिट सिर्फ़ सरकारी प्लेटफ़ॉर्म, 'गिर लायन गुजरात शासन पोर्टल' से ही बुक करें।
- बाहरी ऑफ़र न स्वीकारें: होटलों, गाइडों या ड्राइवरों के ऐसे पैकेज कभी न लें जो 'शेर दिखने की 100% गारंटी' का वादा करते हों।
- गाड़ी के कड़े नियमों का पालन करें: अपनी सफ़ारी गाड़ी से कभी बाहर न निकलें और न ही ड्राइवरों से तय रास्तों से हटकर गाड़ी चलाने को कहें।
- अवैध गतिविधियों की रिपोर्ट करें: अगर आपका होटल या गाइड अभयारण्य की सीमा के बाहर शेर को खोजने का सुझाव दे, तो तुरंत स्थानीय गुजरात वन विभाग के आउटपोस्ट को इसकी सूचना दें।

भरत कापडीआ
संपर्क: editorkm@bwcindia.org

जैन वीगन व्यंजन

इस स्तंभ के अंतर्गत जैन वीगन व्यंजन बनाने की विधि प्रस्तुत है। यदि आप भी कोई रेसिपी भेजना चाहते हैं, तो पत्र/ई-मेल के द्वारा भेजें। वीगन से हमारा तात्पर्य यह है कि शाकाहारी लोगों की ऐसी श्रेणी, जोकि खाने-पीने में प्राणिज पदार्थ से बनी किसी भी वस्तु के प्रयोग से दूर रहते हैं। निम्नदर्शित व्यंजन आपकी प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) सिस्टम को न केवल बढ़ावा देती है, आरोग्यप्रद और स्वादिष्ट भी है।

मक्का

भारत में सड़क किनारे भुना हुआ मक्का मॉनसून की पहचान बन गया है। जब तक मक्के में कोई जेनेटिक बदलाव नहीं किया जाता, तब तक यह सेहत के लिए अच्छा और लाभप्रद होता है। खाने की चीज़ों में प्रयोग होने वाले कॉर्न फ्लोर, कॉर्न स्टार्च और ज़ैंथन गम भी मक्के से ही मिलते हैं। (ज़ैंथन गम सोया, गेहूं और डेयरी से भी मिल सकता है।) 'विश्व के सर्वाधिक आरोग्यप्रद आहार' की सूची में मक्के को फाइबर, मैंगनीज और विटामिन C, B5 और B3 का अच्छा स्रोत बताया गया है। साथ ही, यह भी कहा गया है कि इस अनाज से एंटी-ऑक्सिडेन्ट, पाचन और ब्लड शुगर से जुड़े लाभ मिलते हैं। उनकी वेबसाइट के अनुसार, मक्के को भांप में पकाकर खाना सबसे सेहतमंद तरीका है और इसमें नींबू मिलाने से शरीर में विटामिन B3 आसानी से सोख लिया जाता है। मक्का हमारे शरीर को जिंक, मेग्नेशियम, तांबा, लौह, मैंगनीज और फास्फोरस जैसे आवश्यक मिनरल भी देता है।

मक्के का क्रिमी सूप (क्रिमी कॉर्न चौडर) *(2 व्यक्ति के लिए)*

सामग्री

2-3 बड़े चम्मच तेल
1 हरी शिमला मिर्च, कटी हुई
1 लाल शिमला मिर्च, कटी हुई
3 कप स्वीट कॉर्न के दाने, उबले हुए
1 कप टमाटर की प्यूरी (गाढ़ा गूदा)
1 कप हरी मटर, छीली हुई
नमक स्वाद अनुसार
1 कप ताज़ा नारियल का दूध
1 चुटकी काली मिर्च
1 बड़ा चम्मच कॉर्न फ़्लोर
½ कप पानी
½ छोटा चम्मच पीली सरसों का पेस्ट
सजावट के लिए कटा हुआ हरा धनिया

बनाने की विधि

सॉस पैन में तेल गरम करें, उसमें शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न डालकर एक मिनट तक भूनें।

टमाटर की प्यूरी, हरे मटर और नमक डालें।

उबाल आने के बाद नारियल का दूध और एक चुटकी काली मिर्च डालें। इसे पकने दें। गाढ़ा करने के लिए थोड़े से पानी में मिलाया हुआ कॉर्न फ़्लोर डालें।

फिर सरसों की पेस्ट डालें और नमक चख लें।

हरे धनिये से सजाकर परोसें।

बी डब्ल्यू सी द्वारा जांचे-परखे व आस्वाद किये गए स्वादिष्ट व्यंजनों की विधि का संकलन देखने के लिए कृपया www.bwcindia.org/Web/Recipes/Recipesindex.html की मुलाकात लें।

प्रकाशक: डायना रत्नागर,
अध्यक्षा, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी - भारत
सम्पादक: भरत कापडीआ
डिझाईन: दिनेश दाभोळकर
मुद्रण स्थल: 181 शुक्रवार पेठ, पुणे 411 002

करुणा-मित्र
का प्रकाशनाधिकार
ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी के पास सुरक्षित है।
प्रकाशक की लिखित पूर्वानुमति के बिना
किसी भी प्रकार से किसी भी मुद्रित सामग्री
की अनधिकृत प्रतिकृति करना प्रतिबंधित है।

करुणा-मित्र प्राणिज पदार्थ-रहित कागज़
पर मुद्रित किया जाता है,
और प्रत्येक
बसंत (फरवरी), ग्रीष्म (मई),
वर्षा (अगस्त) एवं शिशिर (नवम्बर)
में प्रकाशित किया जाता है।

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी - भारत
4 प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राइव, वानवडी, पुणे 411 040
+91 74101 26541 admin@bwcindia.org bwcindia.org

Scan me

केवल निजी प्रचलन हेतु Reg. No. 022203/30/86/AL/TC